किशोर संबंधी जानकारी दिए जाने हेतु विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम

लखनऊ, मंगलवार 15 मई 2018
voiceoflucknow@gmail.com

बच्चों के मामलों में संवेदना आवश्यकः डीजीपी

विशेष संवाददाता

लखनऊ। सूबे के पुलिस प्रमुख ओपी सिंह ने कहा कि पुलिस अधिकारियों को बच्चों से सम्बधित प्रकरणों में कार्रवाई में अत्याधिक संवेदनशीलता बरतने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि वर्तमान के परिवेश में किशोरों के मुददे अहम है।

सभी स्टेकहोल्डरों का बच्चों सम्बन्धी प्रकरणों को नियमानुसार हैंडल करने के लिये संवेदनशीलता का अभाव है। इस विषय पर पुलिस को प्रशिक्षण की आवश्यकता है। उन्होंने महिलाओं व बच्चों से सम्बंधित पुलिस विभाग की यूनिटोंः वूमेन पॉवर लाइन (1090), महिला सम्मान प्रकोष्ठ व डायल 100 को समन्वित तरीके से कार्य करने की आवश्यकता पर बल दिया।

डीजीपी किशोर न्याय अधिनियम-2015 व बच्चों से सम्बंधित प्रकरणों को हैंडल करने के लिये एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला में संबोधित कर रहे थे। इसका आयोजन उत्तर प्रदेश पुलिस महिला सम्मान प्रकोष्ठ, वूमेन पॉवर लाइन (1090) द्वारा यूनीसेफ के सहयोग से पुलिस महानिदेशक की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। प्रशिक्षण कार्यशाला का उद्देश्य लखनऊ के 7 क्षेत्राधिकार के अर्न्तगत 22 थानों में नियुक्त बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों, सम्बंधित थानाध्यक्ष, क्षेत्राधिकारी व अपर पुलिस अधीक्षको को जेजे एक्ट 2015 के प्रावधानों व बच्चों सम्बंधित प्रकरणों का प्रशिक्षण प्रदान करना था।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में बाल संरक्षण विशेषज्ञ-यूनीसेफआफताब मोहम्मद द्वारा थानों में नियुक्त सभी बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों को सीयूजी नम्बर उपलब्ध कराने का सुझाव दिया, साथ ही उन्होंने बालकों से सम्बंधित प्रकरणों पर पुलिस अधिकारियों को जनकारी प्रदान करने के लिये एक अलग हेल्प लाइन जारी करने का भी सझाव दिया।

बच्चों के मामले देखने वाली संस्थाओं में संवेदनशीलता का अभाव : डीजीपी

दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला में डीजीपी ओपी सिंह ने अपने विचार रखे।

■ **एनबीटी ब्यूरो, लखनऊ :** डीजीपी ओम प्रकाश सिंह ने कहा, पुलिस अफसरों को बच्चों से संबंधित मामलों में कार्यवाही करते समय ज्यादा संवेदनशीलता बरतने की जरूरत है। आज बच्चों से संबंधित मामलों को देखने वाली सभी संस्थाओं (स्टेक होल्डरों) में संवेदनशीलता का अभाव है। इस विषय को लेकर पुलिस अफसरों को प्रशिक्षित करने की जरूरत है। उन्होंने महिलाओं और बच्चों से संबंधित विभाग की यूनिटों (विमन पावर लाइन 1090, महिला सम्मान प्रकोष्ठ और डायल 100) में समन्वय बनाकर काम करने पर जोर दिया। डीजीपी ने सोमवार को यूनिसेफ के सहयोग से आयोजित दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला में ये बातें कहीं।

> जेजे ऐक्ट के प्रावधानों के प्रशिक्षण को लेकर आयोजित कार्यशाला में बोले डीजीपी

यह कार्यशाला किशोर न्याय अधिनियम 2015 (जेजे ऐक्ट) व बच्चों से संबंधित मामलों को हैंडल करने वाले लखनऊ के पुलिस कर्मियों के प्रशिक्षण के लिए महिला सम्मान प्रकोष्ठ में आयोजित की गई थी। कार्यशाला में लखनऊ के 22 थानों में तैनात बाल कल्याण पुलिस अधिकारी, संबंधित थानों के थानाध्यक्ष, क्षेत्राधिकारी और अपर पुलिस अधीक्षक मौजूद थे। कार्यशाला में यूनिसेफ के बाल संरक्षक विशेषज्ञ आफताब मोहम्मद ने थानों पर तैनात सभी बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों को सीयूजी नंबर मुहैया करवाने और बच्चों के लिए एक अलग से हेल्पलाइन जारी करने का सुझाव दिया। कार्यशाला को ट्रेनर के रूप में दिल्ली से आए अधिवक्ता अनंत अस्थाना, अपर पुलिस महानिदेशक विमन पावर लाइन अंजू गुप्ता, यूनिसेफ के स्टेट कंसल्टेंट जावेद अंसारी और एसएसपी लखनऊ दीपक कुमार ने संबोधित किया।

कार्यशाला में कहा गया कि बालकों पर एफआईआर तभी दर्ज की जाएगी, जब अपराध गंभीर हो या फिर अपराध में वयस्कों के साथ किशोर शामिल हों। बाकी सभी मामलों में अपराध की सूचना महज डीजी (थाने की दैनिक डायरी) में लिखी जाएगी।

unicef
for every child
किशोरों से सम्बंधित कानूनी नियमों

1090

किशोरों से सम्बंधित कानूनी नियमों व व्यवस्था पर
एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम
दिनांकः- 25 जून 2018, स्थानः- होटल फार्यून, ITC , लखनऊ।
आयोजकः- उत्तर प्रदेश पुलिस महिला सम्मान प्रकोष्ठ/वीमेन पॉवर लाइन (1090)
unicef

unicef
किशोरों से सम्बंधित कानूनी नियमों व व्यवस्था पर
एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम
दिनांकः- 25 जून 2018, स्थानः- होटल फार्चून, ITC , लखनऊ।
आयोजकः- उत्तर प्रदेश पुलिस महिला सम्मान प्रकोष्ठ/वीमेन पॉवर लाइन (1090)